46–(08)–04–2026

पटना में दिनांक–13 मई, 2026 बुधवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

वाणिज्य–कर विभाग

1. विभागीय सॉफ्टवेयर–वैटमिस एप्लीकेशन (VATMIS Application) के लिए अगले एक वर्ष (दिनांक–23.08.2025 से 22.08.2026 तक) हेतु मेसर्स टी०सी०एस० द्वारा वार्षिक रख–रखाव [Annual Maintenance Charges (AMC)] के नवीनीकरण के लिए बेल्ट्रॉन के प्रस्ताव पर नामांकन के आधार पर मे० टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टी०सी०एस०) को देय कुल राशि रू० 1,31,80,414/– (एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार चार सौ चौदह रू०) मात्र एवं इस पर बेल्ट्रॉन को देय मार्जिन एवं कर की राशि की स्वीकृति देने के संबंध में।

1. स्वीकृत।

वित्त विभाग

2. वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य सरकार द्वारा 64,141.2820 करोड़ रूपये (चौसठ हजार एक सौ इकतालीस करोड़ अट्ठाईस लाख बीस हजार रूपये) बाजार ऋण सहित कुल 72,901.3097 करोड़ रूपये (बहत्तर हजार नौ सौ एक करोड़ तीस लाख सतानवे हजार रूपये) के ऋण उगाही की स्वीकृति।

2. स्वीकृत।

वित्त विभाग

3. षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों /पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2026 के प्रभाव से 257% के स्थान पर 262% महँगाई भत्ता/ राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में।

3. स्वीकृत।

वित्त विभाग

4. पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों /पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2026 के प्रभाव से 474% के स्थान पर 483% महँगाई भत्ता/ राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में।

4. स्वीकृत।

वित्त विभाग

5. सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2026 के प्रभाव से 58% के स्थान पर 60% महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

6. अपराध एवं साम्प्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील राज्य के 05 जिलों यथा पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली एवं सिवान जिला में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के कुल 05 (पाँच) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

वित्त विभाग

7. बिहार नगरपालिका योजना सेवा संवर्ग के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

8. औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु वैशाली जिला अन्तर्गत कुल रकबा–1243.45 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण हेतु प्रक्रियाधीन भूमि में से 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा उक्त के भूमि चयन पर अन्तिम निर्णय हेतु निदेशक पर्षद, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना को प्राधिकृत किये जाने के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

9. मेसर्स नीफ प्राइवेट लिमिटेड डेयरी प्लांट, प्लॉट नं०–A-3(P-I) औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दरपुर बिहटा कलस्टर, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली –2016 के नियम–7 के उप नियम(2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

10. मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु योजना संबंधी उद्योग विभाग का निर्गत संकल्प ज्ञापांक–4773, दिनांक–28.10.2013 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

11. उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3223, दिनांक–26.08.2025 द्वारा निर्गत "बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP), 2025" तथा संकल्प ज्ञापांक–1822, दिनांक–01.09.2016 द्वारा निर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

11. **स्वीकृत।**

उच्च शिक्षा विभाग

12. राज्य सरकार के सात निश्चय–3 (2025–30) का चतुर्थ निश्चय "उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य" अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय रहित अवशेष 02 प्रखंडों (प० चम्पारण जिले के पिपरासी एवं भितहा) तथा मुंगेर जिलान्तर्गत टेटिया बम्बर प्रखंड में जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक अतिरिक्त डिग्री महाविद्यालय अर्थात् कुल 03 डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना व नामकरण (संकल्प सं०–633, दिनांक–30.04.2026 से स्थापित 208 महाविद्यालयों के नामकरण संबंधी कंडिका के परिमार्जन सहित), महाविद्यालयों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले राज्य के विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता, महाविद्यालयों के औपबंधिक संचालन, प्रति महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के 44 पदों के हिसाब से कुल 132 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

12. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. लखीसराय जिलान्तर्गत अंचल–चानन, मौजा–गोपालपुर, थाना सं०–47, खाता सं०–192, खेसरा सं०–1130 की कुल प्रस्तावित रकवा–79.92 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म –परती क़दीम भूमि पर पशुपालन विकास योजना के तहत सिमेन स्टेशन की स्थापना हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय स्थायी निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

13. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. किशनगंज जिलान्तर्गत अंचल–पोठिया, मौजा–बुढ़नई, थाना सं०–79, खाता सं०–1136 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा–110.12 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) बिहार सरकार की भूमि बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम–441 एवं विभागीय परिपत्र सं०– 655(6)/रा०, दिनांक–16.06.2016 की कंडिका–5 को इस हद तक शिथिल करते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

14. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

15. मो० इरशाद अंसारी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), भोजपुर, आरा सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं गबन करने संबंधी आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप सेवा से बर्खास्त करने, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, की विनिश्चित शास्ति पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

17. "मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना" का गठन एवं उसके क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए कुल अनुमानित व्यय रूपया 1,10,00,00,000/–(एक अरब दस करोड़) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

18. बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

19. राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र, कौशल विकास एवं नवाचार को सुदृढ़ करने हेतु ग्लोबल फाइनेंस एण्ड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN), सिंगापुर को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम सं०–131ज्ञ(त) के तहत नामांकन के आधार पर चयन तथा The Aryabhata Drishti परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रू० 209,00,00,000.00 (दो सौ नौ करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 19. स्वीकृत।